

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा/ अररिया ।

पटना, दिनांक :- 11-1-17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	नालन्दा	03	15000	श्रम अधीक्षक, नालन्दा के पत्रांक 828 दिनांक-03.12.16 के आलोक में (1 अप्रैल, 16 से 10 जुलाई, 16 तक की अवधि में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों हेतु) ।
2	तदैव	अररिया	01	5000	श्रम अधीक्षक, अररिया के पत्रांक-120 दि.-6.12.16 के आलोक में 1 अप्रैल, 16 से 10 जुलाई, 16 तक की अवधि में विमुक्त 01 बाल श्रमिक के लिए ।
कुल योग			04	20000	

कुल आवंटित राशि रूपये बीस हजार मात्र ।

- मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,



(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/16 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

11-1-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

